



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271033
CG-DL-E-18032026-271033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 54]

NEW DELHI MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

[व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)]

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

मामला आईडी क्यूआर/ओआई/001/2026

[रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत]

विषय: भारत में सोडा ऐश के आयातों से संबंधित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जाँच की शुरूआत

1. **फा. सं. 22/01/2026-डीजीटीआर:**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9क तथा उसके समय-समय पर यथा संशोधित उसकी रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिसे आगे “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, अल्कली मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “आवेदक संघ” कहा गया है) ने डीसीडब्लू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड तथा टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक कंपनियाँ” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) की ओर से, भारत में “सोडा ऐश” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयात के संबंध में रक्षोपाय जाँच की शुरूआत करने तथा मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में रक्षोपाय उपायों को लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद, अर्थात् सोडा ऐश, के आयात की मात्रा में वर्ष 2023-24 में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2025 तक जारी रही है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँची है। तदनुसार, आवेदक ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में रक्षोपाय लागू किए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद “डिसोडियम कार्बोनेट” है, जिसे सामान्यतः “सोडा ऐश” के नाम से भी जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र एनए₂सीओ₃ है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय तथा जल में घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है — लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। इन दोनों प्रकारों के बीच अंतर मुख्यतः उनके बल्क घनत्व में होता है। यह या तो प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद मूलतः समान हैं और इस जाँच में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।
4. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत कोड 283620 के अधीन किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(4)(ख) के अनुसार:

“घरेलू उद्योग” से तात्पर्य उन वस्तुओं के उत्पादकों से है (जिसमें कृषि उत्पादों के उत्पादक भी शामिल हैं) —

(i) भारत में समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के समस्त उत्पादक; या

(ii) ऐसे उत्पादक जिनका सामूहिक उत्पादन भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के भारत के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता हो।

6. रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 2(ड) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“(ड.) ‘समान वस्तु’ से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जाँच के अधीन वस्तुओं के साथ सभी दृष्टियों से समान या समरूप प्रकृति की हों, अथवा ऐसी वस्तुओं की अनुपस्थिति में वे अन्य वस्तुएँ जिनकी विशेषताएँ जाँच के अधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती हों।”

7. आवेदक ने यह बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ भारत में आयात की जा रही विचाराधीन वस्तु के समान वस्तु हैं। यह भी बताया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक का दावा है कि दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जाँच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन अल्कली मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। एसोसिएशन के सदस्य डीसीडब्लू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड तथा टाटा कैमिकल्स लिमिटेड ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई है। आवेदक कंपनियाँ भारत में समान वस्तु के उत्पादन में शामिल हैं।

9. आवेदक कंपनियों का कुल घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है और इस प्रकार वे रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 7 के नियम 2(ड.) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(4)(ख) तथा के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करती हैं।

घ. जाँच अवधि (पीओआई)

10. वर्तमान जाँच में जाँच की अवधि अप्रैल 2020 से सितंबर 2025 तक की है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि 2023-24 वह अवधि थी जब भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि की शुरुआत हुई, जो सितंबर 2025 तक जारी रही। जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक की अवधि को सबसे हाल की अवधि (एमआरपी) के रूप में माना गया है। यह देखा गया है कि 2023-24 में शुरू हुई आयात में वृद्धि सबसे हाल की अवधि (एमआरपी) तक जारी रही।

ड. अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि

11. आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में 2023-24 से अचानक, तीव्र और हालिया महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो उसके बाद सितंबर 2025 तक जारी रही है, और यह वृद्धि समग्र (निरपेक्ष) तथा सापेक्ष दोनों ही रूपों में देखी गई है। यह नोट किया जाता है कि अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान आयात, अप्रैल 2022-मार्च 2023 की तुलना में 89% बढ़ गया। इसी प्रकार, कुल मांग के सापेक्ष आयात का बाजार हिस्सा भी अप्रैल 2022-मार्च 2023 में 13% से बढ़कर अप्रैल 2023-मार्च 2024 में कुल मांग का 24% हो गया।
12. आवेदक ने यह दावा किया है कि आयात में वृद्धि मुख्यतः अमेरिका, तुर्की और रूस से हुई है और यह वृद्धि कई अप्रत्याशित कारणों के कारण हुई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - क. रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पारंपरिक व्यापार मार्ग, विशेषकर यूरोप के लिए, पत्तनों में व्यवधान, बढ़े हुए मालभाड़े और बीमा लागत तथा बढ़ती लॉजिस्टिक अनिश्चितताओं जैसे कारणों से बाधित हो गए। इसी के साथ, यूरोज़ोन में लगातार उच्च मुद्रास्फीति, ऊर्जा लागत में वृद्धि और यूरोपीय संघ में समग्र आर्थिक मंदी के कारण कांच तथा ऑटोमोबाइल जैसे अंतिम उपभोक्ता उद्योगों की मांग कम हो गई। परिणामस्वरूप, जो निर्यात पहले यूरोप के लिए निर्धारित थे, जो ऐतिहासिक रूप से तुर्की और रूस के लिए एक प्रमुख बाजार रहा है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मांग वाले वैकल्पिक बाजारों, जिनमें भारत भी शामिल है, की ओर मोड़ दिया गया।
 - ख. वर्ष 2023-24 में आर्थिक मंदी, तुर्की की मुद्रा के अवमूल्यन और औद्योगिक उत्पादन की दर में गिरावट के कारण तुर्की में मांग में भी कमी आई। तथापि, तुर्की द्वारा महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की गई और इस कारण अतिरिक्त उत्पादन को कम कीमतों पर भारत की ओर मोड़ दिया गया।
 - ग. अमेरिका में क्षमता में वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक मांग, विशेषकर मेक्सिको, जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है, में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, निर्यात को भारत जैसे बढ़ते बाजार की ओर निर्देशित किया गया।
 - घ. वैश्विक मांग कमजोर हो गई है और अन्य बाजारों के नुकसान तथा क्षमताओं में और वृद्धि को देखते हुए, सामग्री को क्रमिक रूप से कीमतों में कमी करते हुए पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में आयात में वृद्धि हुई।
 - ड. वैश्विक मांग में गिरावट के बावजूद, प्रमुख देशों जैसे चीन, अमेरिका और तुर्की में क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि तेजी से की जा रही है। इन देशों से अधिशेष मात्रा को वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़े जाने तथा वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति के कारण उत्पन्न निरंतर मूल्य दबाव के परिणामस्वरूप 2023-24 में आयात में वृद्धि हुई, जो उसके बाद भी जारी रही, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कमी की गई। इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
 - च. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे तथा आयात और गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध
13. आवेदक ने यह दावा किया है कि वर्ष 2023-24 से प्रारंभ होकर विचाराधीन उत्पाद के आयात में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो पर्याप्त मात्रा में हुई है और जो सबसे हाल की अवधि तक जारी है, ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और बाजार में कीमत ह्रास उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय में गिरावट आई है। आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि मांग और आपूर्ति के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है तथा घरेलू उद्योग में क्षमताओं में वृद्धि भी हुई है। आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग अपनी बढ़ी हुई क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री को इष्टतम स्तर पर नहीं ला सका।
14. प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना और साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात् प्रथम दृष्टया पाया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप 2023-24 में विचाराधीन वस्तु के आयात में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सबसे हाल की अवधि के दौरान भी उसी बढ़े हुए स्तर पर बनी हुई है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

छ. रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरुआत

15. आवेदक द्वारा विहित प्रारूप और ढंग से प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो जाने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत रक्षोपाय जांच शुरुआत को न्यायसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हाल की अवधि में अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप

आयात में अचानक और तीव्र वृद्धि हुई है तथा क्या ऐसे बड़े हुए आयात ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाई है या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न किया है।

16. आवेदक ने चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय लगाने का अनुरोध किया है। आवेदक कंपनियों ने यह भी एक विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें आयात के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के प्रति सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए गए अथवा किए जाने की योजना बनाए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच में भाग लेने के लिए स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.डीजीटीआर.gov.in/>) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को पंजीकरण करने में कोई कठिनाई होती है तो <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर ब्यौरे उपलब्ध कराते हुए डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। सभी पत्र और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और ऊपर उल्लिखित संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत अपलोड की जाएँगी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो और जिसमें उचित क्रम में गणनाएं शामिल हों।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढग और प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित ढग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

झ. समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा प्रमुख निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. समय बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम तीन दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 7 के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
25. ऐसी अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकृत अधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके

स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
28. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
29. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
30. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकृत अधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
31. गोपनीयता के दावे के संबंध में रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 7 के अनुसार उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ठ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[Directorate General of Trade Remedies, (DGTR)]

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

Case ID - QR/OI/001/2026

[Under Rule 5 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012]

Subject: Initiation of Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of Soda Ash into India

1. **F. No. 22/01/2026-DGTR.**—Having regard to Section 9A of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter also referred to as the “applicant” or

“applicant association”) on behalf of DCW Limited, RSPL Limited, Nirma Limited, GHCL Limited and Tata Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the “applicant companies”) have filed an application, for initiation of safeguard investigation and imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions concerning imports of “Soda Ash” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) into India.

2. The applicant has alleged that there has been sudden, sharp, significant increase in the volume of imports of the product under consideration, i.e. Soda Ash, in India in 2023-24, which continues till September 2025, which has caused serious injury to the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for imposition of Safeguard Measures in the form of quantitative restrictions on the imports of the product under consideration into India.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is "Disodium Carbonate", also popularly known as "Soda Ash" having formula as Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is the bulk density. It can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same and the investigation includes all types and form of Soda Ash.
4. The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

B. LIKE GOODS

5. Section 9A(4)(b) of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 provides as follows:

“domestic industry” means the producers of goods (including producers of agricultural goods)

- (i) As a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or
- (ii) Whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;

6. Rule 2(e) of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 defines like goods as:

“(e) “like goods” means goods which is identical or alike in all respects to the goods under investigation, or in absence of such goods, other goods which has characteristics closely resembling those of the goods under investigation”

7. The applicant has stated that the goods produced by the domestic industry are like goods to the product under consideration being imported into India. It has been stated that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the product under consideration being imported into India. The applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like goods’ to the subject goods being imported into India.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The application has been filed by Alkali Manufacturers’ Association of India. Association Members, DCW Limited, RSPL Limited, Nirma Limited, GHCL Limited, and Tata Chemicals Limited have provided necessary information. The applicant companies are engaged in the production of the like goods in India.
9. The applicant companies account for a major proportion of the total domestic production, constituting domestic industry under Section 9A(4)(b) of the Act read with Rule 2(e) of the Rule 7 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

10. The period of investigation in the present investigation is the period from April, 2020 to September, 2025. The applicant has submitted that 2023-24 was the start of sudden, sharp, and significant surge in imports of the product under consideration in India, which continues till September, 2025. January 2025- September 2025 has been considered as the most recent period (MRP). It is seen that the surge that started in 2023-24 has continued till the MRP.

E. INCREASE IN IMPORTS AS A RESULT OF UNFORESEEN DEVELOPMENTS

11. The Applicant has claimed that there imports of the product witnessed sudden, sharp and recent significant increase in imports of the product under consideration beginning in 2023–24, which continued thereafter till September 2025 both in absolute terms as well as relative terms. It is noted that the imports in April 2023-March 2024 increased by 89% as compared to imports in April 2022-March 2023. The market share of imports relative to total demand also increased from 13% in April 2022-March 2023 to 24% of total demand in April 2023-March 2024.
12. The applicant has claimed that imports have mainly increased from US, Turkey, Russia and such increase was due to a number of unforeseen factors, including the following:
 - a. Due to the Russia–Ukraine conflict, traditional trade routes, particularly to Europe, were disrupted by factors such as port disturbances, elevated freight and insurance costs, and increased logistical uncertainty. At the same time, persistent high inflation in the Eurozone, higher energy costs, and an overall economic slowdown in the EU dampened demand from end-user industries such as glass and automotive. Consequently, export volumes that were earlier destined for Europe, historically a key market for Turkey and Russia, were redirected to alternative markets with relatively stronger demand, including India.
 - b. Demand in Turkey as well declined due to economic slowdown in 2023-24, depreciation of Turkish currency and decline in rate of industrial production. However, significant capacity was added by Turkey and thus excess production thereafter was redirected to India at reduced prices.
 - c. Capacities in US increased, however, global demand declined and in particular in Mexico, a key export destination for US. Resultantly, exports were directed to a growing market in India.
 - d. Global demand has weakened and, in view of loss of other markets and further increase in capacities, material was offered by successively reducing prices, resulting in surge in imports in India.

Despite decline in global demand, substantial capacity additions are being taken in major countries, China, USA and Turkey rapidly. Direction of surplus volumes to alternative markets from these countries and sustained price depression arising from global oversupply have led to surge in imports in 2023-24 and the same continued thereafter despite price reductions by the domestic industry, causing serious injury to the domestic industry

F. SERIOUS INJURY AND THREAT OF SERIOUS INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY AND CAUSAL LINK BETWEEN IMPORTS AND SERIOUS INJURY AND THREAT OF SERIOUS INJURY

13. The applicant has claimed that sudden, sharp and significant increase in the import of the product under consideration in substantial quantity beginning in 2023-24, which continues till September 2025, has caused serious injury to the domestic industry. Subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and causing price depression in the market since 2022-23 leading to decline in profit, cash profit and ROI. Imports have taken over the market share of the domestic industry, despite there being no material demand-supply gap and increased capacities with the domestic industry, significant in import prevented the domestic industry from optimizing increase capacity utilization, production and sales at optimum levels.
14. After examining the information and evidence provided by the applicant, the Authority, prime facie, finds that imports of the subject goods increased in 2023-24 as a result of unforeseen development and continues to remain at the increased level during the most recent period causing serious injury to the domestic industry.

G. INITIATION OF SAFEGUARD MEASURES (QUANTITATIVE RESTRICTIONS) INVESTIGATION

15. On the basis of written application filed in the form and manner prescribed by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant, the Authorised Officer considers that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation under Rule 5 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 to determine whether imports have increased suddenly and sharply in the recent period as a result of unforeseen developments, and whether such increased imports have caused or pose a threat of serious injury to the domestic industry.
16. The applicant has requested imposition of safeguard measures for a period of four years. Applicant companies have also provided a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, to make a positive adjustment to increase in competition due to imports.

H. SUBMISSION OF INFORMATION

17. All interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (<https://setudgtr.gov.in>) in order to participate in the investigation. In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk>. All communications and submissions from the interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while the data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.
18. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.
19. All known interested parties are being informed separately to enable them to file the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits mentioned in this initiation notification.
20. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authorised Officer within the time limits mentioned in this initiation notification.
21. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation.

I. TIME LIMIT

22. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding Case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authorised Officer or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the major exporting countries. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authorised Officer may record its findings based on the facts available on record.
23. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least three days before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

J. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

24. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authorised Officer, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.
25. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authorised Officer without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authorised Officer, and the Authorised Officer shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
26. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is

not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

28. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authorised Officer.
29. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
30. The Authorised Officer may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authorised Officer is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authorised Officer.

K. INSPECTION OF PUBLIC FILE

32. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

L. NON-COOPERATION

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authorised Officer in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authorised Officer may record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

AMITABH KUMAR, Authorized Officer